45

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–छिन्दबाड़ा

चन्द्रकान्त पुत्र श्री लोकमत साकिन ग्राम हरई तहसील परासिया जिला छिन्दबाड़ा (म.प्र.)

.... प्रार्थी

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला छिन्दबाडा (म.प्र.)

2– चूड़ामन पुत्र श्री मलुकचन्द्र साकिन ग्राम हरई तहसील परासिया जिला छिन्दबाड़ा (म.प्र.)

.... प्रतिप्रार्थीगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1354/एक/2008 पुनरीक्षण को पुनः स्थापित किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता।

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर से आवेदन सविनय निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प छिन्दबाडा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2008 के विरूद्ध पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 1354/एक/2008 प्रस्तुत किया गया था जिसमें तारीख पेशी दिनांक 22.01.2016 नियत की गई थी।

(2) यहकि, उक्त तारीख पेशी से पूर्व प्रार्थी के अभिभाषक श्री एम.एस. इन्दापुरकर का देहांत हो गया था। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से प्रकरण में कोई उपस्थित नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में प्रकरण आदेश दिनांक 22.01.2016 को अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश की जानकारी प्रार्थी को माननीय न्यायालय द्वारा नहीं दी गयी। प्रार्थी को दिनांक 01.10.2016 को एक मांग सूचना पत्र अतिरिक्त तहसीलदार एवं जिला पंजीयक छिन्दबाडा द्वारा किया गया एवं तारीख पेशी 19.10.2016 दी गयी। तब दिनांक 19.10.2016 को प्रार्थी की ओर से एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि उनका प्रकरण राजस्व मण्डल में अदम पैरवी में निरस्त हो गया है और वह यथा शीघ्र प्रकरण को पुनः स्थापित कर आगामी कार्यवाही

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक रेस्टोरेशन 8504/एक/2016 जिला–छिन्दबाडा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05.12.2016	आवेदकपक्ष के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा रेस्टोरशन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 32 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उनके तर्क में बताया गया कि राजस्व मण्डल के प्रकरण क्रमांक 1354/एक/2008 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 को अदम पेरवीं में खारिज कर दिया गया है। जो सद्भाविक नहीं है। 2– आवेदक अभिभाषक का निवेदन स्वीकार करते हुये प्रकरण क्रमांक 1354/एक/2008 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2016 को पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है। कि आवेदक 500 रूपये की कोस्ट न्यायालय में जमा कराये। इसी निर्देश के साथ रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्वीकार कर निराकृत किया जाता है। सदस्य	